राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 516/2025

अनीता देवी पत्नी कर्मपाल, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी आम चोक, बास चाननी, चूरू, राजस्थान - 331023

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान विभाग (ग्रुप-II), राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (एस.आई.एच.एफ.डब्ल्यू), स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से	:	श्री रजत अरोड़ा।
प्रतिवादीगण की ओर से	:	श्री मुकेश दवे, सरकारी अधिवक्ता

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

15/01/2025

1. याचिकाकर्ता यहाँ इस न्यायालय के समक्ष एक अदिनांकित निर्णय (अनुलग्नक 17) से व्यथित होकर उपस्थित है, जिसमें नर्सिंग अधिकारी के पद पर चयन प्रक्रिया में उसकी अभ्यर्थिता को ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी में अस्वीकार करते हुए उसके स्थान पर उसे सामान्य श्रेणी में माना गया है।

2. संक्षेप में मामले के प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/721/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसे देखें)

2.1. याचिकाकर्ता का जन्म हरियाणा राज्य में हुआ था और बाद में विवाह के बाद वह राजस्थान राज्य में प्रवासित हो गई। वह ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी से संबंधित है, क्योंकि उसकी कुल पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से कम है। प्रतिवादीगण ने नर्सिंग अधिकारी के पद के लिए विज्ञापन दिनांक 05.05.2023 (अनुलग्नक 5) जारी किया। याचिकाकर्ता ने पात्र होने के कारण इस पद के लिए आवेदन किया। हालाँकि, एक प्रवासी उम्मीदवार के रूप में, ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी से संबंधित होने के बावजूद, उसे अनारक्षित श्रेणी में आवेदन जमा करने के लिए मजबूर किया गया। याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन दिनांक 13.09.2023 (अनुलग्नक 11) के माध्यम से अपनी श्रेणी बदलने के लिए प्रतिवादीगण से संपर्क किया।

2.2 तत्पश्चात, प्रतिवादीगण ने उन अभ्यर्थियों की श्रेणियों में परिवर्तन करते हुए दस्तावेज़ सत्यापन हेतु एक सूची (अनुलग्नक 12) जारी की, जिनके अभ्यावेदन स्वीकार कर लिए गए थे। हालाँकि, याचिकाकर्ता को अस्पष्ट रूप से ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी में सत्यापन के लिए नहीं बुलाया गया।

2.3. इसके बाद प्रतिवादीगण ने दिनांक 07.10.2023 की एक अनंतिम सूची (अनुलग्नक 13) जारी की, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा ई.डब्ल्यू.एस.-महिला श्रेणी में कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद उसे भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने एक अन्य अभ्यावेदन (अनुलग्नक 14) प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि उसकी उम्मीदवारी पर ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी में विचार किया जाए। इसके बावजूद, जब दिनांक 06.10.2024 (अनुलग्नक 16) की अंतिम सूची जारी की गई, तो याचिकाकर्ता का नाम शामिल नहीं किया गया, जबकि उसने ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के लिए कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए थे, और इसके लिए कोई वैध कारण भी नहीं बताया गया।

2.4. तत्पश्चात, प्रतिवादीगण ने एक अदिनांकित निर्णय (अनुलग्नक 17) जारी कर उसके अभ्यावेदनों को अस्वीकार कर दिया। अतः यह याचिका।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना है।

4. सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि याचिकाकर्ता की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ('ई.डब्ल्यू.एस.') श्रेणी से संबंधित होने की स्थिति यहाँ विवाद का विषय नहीं है। उक्त श्रेणी में उसकी उम्मीदवारी इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि उसे प्रदान किया गया ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र विज्ञापन की कटऑफ तिथि के बाद का था।

5. इस संदर्भ में दिनांक 17.10.2022 (अनुलग्नक 15) के परिपत्र का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद (अधिवक्ता द्वारा प्रदान किया गया) इस प्रकार है:

> "इस विभाग द्वारा समसंख्यक परिपत्र क्रमांक प. *7(1)*कार्मिक / क-*2/2019* दिनांक *20.01.2022* में निम्नानुसार जारी किया गया था *:*
>
> राज्य सरकार के अधीन पदों की भर्ती के लिए सभी सेवा नियमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। केंद्र एवं राज्य के अधीन पदों की भर्तियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है जिसके आधार पर अभ्यर्थी की श्रेणी की पात्रता का मूल्यांकन किया जाता है। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ, प्रमाण-पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों द्वारा धारित प्रमाण-पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए, ताकि भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पश्चात आरक्षित श्रेणी का लाभ देने के संबंध में प्रमाण-पत्र की तिथि के आधार पर विवाद न हो।

उक्त परिपत्र के अंत में निम्न परन्तुक जोड़ा जाता है :

'यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक शपथ-पत्र लिया जावे कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। '

अतः सभी संबंधित को उक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। ''

6. उपरोक्त के अवलोकन से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि यद्यपि सभी अभ्यर्थियों को कट-ऑफ तिथि तक अपने अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, लेकिन परंतुक, जो मुख्य प्रावधान का एक अभिन्न अंग है, स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि कोई अभ्यर्थी, किसी कारणवश, कट-ऑफ तिथि तक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो उसे कट-ऑफ तिथि बीत जाने के बाद भी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। बशर्ते कि अभ्यर्थी द्वारा एक वचनपत्र/शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाए जिसमें यह उल्लेख हो कि कट-ऑफ तिथि तक वह उस श्रेणी से संबंधित था जिसके लिए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. उक्त परंतुक के दुरुपयोग से बचने के लिए परंतुक में यह स्पष्ट चेतावनी भी दी गई है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा दिया गया शपथ पत्र/वचनपत्र गलत पाया जाता है तो उस आधार पर प्राप्त नियुक्ति को संक्षिप्त रूप से समाप्त किया जा सकेगा।

8. विज्ञापन दिनांक 05.05.2023 (अनुलग्नक 5) की श्रेणी (ऑनलाइन आवेदन त्रुटि संशोधन अवधि) के कॉलम (घ) (अन्य विवरण) के अवलोकन से स्पष्ट रूप से इन शब्दों में कहा गया है कि "अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) के आवेदकों को कार्मिक

(के-2) विभाग परिपत्र संख्या 7(1) कार्मिक/के-2/2019, दिनांक 17.10.2022 के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र और शपथ पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति होगी (अंग्रेजी में अनुवादित)।"

9. इस प्रकार उपरोक्त परिपत्र दिनांक 17.10.2022 प्रश्नगत विज्ञापन पर लागू होता है और यहां यह स्वीकृत स्थिति है।

10. जहाँ तक याचिकाकर्ता का आवेदन इस आधार पर खारिज करने का सवाल है कि उसने सामान्य श्रेणी में कम अंक प्राप्त किए थे क्योंकि उसकी उम्मीदवारी ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी में स्वीकार नहीं की गई थी, विज्ञापन के बाद जारी किए गए परिपत्र दिनांक 12.09.2023 (अनुलग्नक 10) को देखते हुए, मुझे इसमें कोई ठोस आधार नहीं मिल रहा है। इस परिपत्र के अनुसार उम्मीदवारों को अपने मूल आवेदन पत्र में श्रेणी में परिवर्तन करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें श्रेणी का परिवर्तन भी शामिल था, जैसा कि परिपत्र दिनांक 12.09.2023 (अनुलग्नक 10) के खंड-7 से स्पष्ट है, जो निम्नानुसार है:

"7. प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार जानकारी देनी हैः-

1. आपका नाम
2. आवेदित पद का नाम
3. आई.डी. संख्या
4. मोबाईल संख्या
5. विषयवस्तु (एक या अधिक भी हो सकती है):-

- नाम में संशोधन
- **जातिगत श्रेणी में परिवर्तन**
- क्षैतिज श्रेणी में परिवर्ततन
- 10 वीं / 12 वीं की अंकतालिका के अंको में संशोधन
- व्यावसायिक योग्यता के अंको में संशोधन
- बच्चों की संख्या
- रजिस्ट्रेशन क्रमाक / दिनांक में संशोधन
- अनुभव में संशोधन
- अन्य"

11. उपरोक्त परिपत्र के अनुसरण में, जिसमें 13.09.2023 से 19.09.2023 तक की सीमित अवधि के लिए एक अवसर दिया गया था, याचिकाकर्ता ने उसे प्रदान किए गए बाद के प्रमाणपत्र के आधार पर अपनी श्रेणी को सामान्य से ई.डब्ल्यू.एस. में बदलने का अनुरोध किया। हालाँकि वह कट-ऑफ तिथि तक ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी से संबंधित थी, फिर भी वह प्रमाणपत्र ऑनलाइन जमा नहीं कर सकी क्योंकि यह उसके पास भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं था।

12. प्रतिवादीगण की ओर से यह स्वीकारोक्ति है कि सभी अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने का अवसर प्रदान किए जाने के बाद भी याचिकाकर्ता को श्रेणी परिवर्तन का लाभ नहीं दिया गया। यह मौन स्वीकृति के समान है, क्योंकि श्रेणी परिवर्तन के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध के संबंध में किसी भी इनकार की अनुपस्थिति यह दर्शाती है कि इसे खारिज कर दिया गया था।

13. वास्तव में, याचिकाकर्ता द्वारा अपनी शिकायत के निवारण हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन (अनुलग्नक 17) को बिना कोई सकारण आदेश पारित किए लंबित रखा गया। हालाँकि उसका नाम उन अभ्यर्थियों की सूची में रखा गया था जिनकी उम्मीदवारी श्रेणी परिवर्तन के कारण अस्वीकृत कर दी गई थी, यह कहा गया कि चूँकि उसने पहले ही सामान्य श्रेणी में आवेदन किया था, इसलिए **सोनल त्यागी बनाम राजस्थान राज्य: डी.बी.एस.ए.डब्ल्यू संख्या *7840/2019*** में दिए गए निर्णय के आलोक में उसके बाद के श्रेणी परिवर्तन के अनुरोध को वैध नहीं माना जा सकता।

14. सोनल त्यागी मामले में दिए गए निर्णय का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि याचिकाकर्ता के मामले में इसका प्रयोग अनुचित है क्योंकि उस मामले में किसी भी अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद अपनी श्रेणी बदलने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। इसलिए, इस न्यायालय ने माना कि कट-ऑफ तिथि का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

जबकि इस मामले में, प्रतिवादीगण ने स्वयं अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद अपनी श्रेणी बदलने की अनुमति दी थी, जिससे कट-ऑफ तिथि प्रभावी रूप से बढ़ गई।

15. जहां तक हरियाणा से राजस्थान में स्थान परिवर्तन का प्रश्न है, यह याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र का लाभ प्राप्त करने के लिए अपात्र नहीं बनाता है।

16. इस संबंध में इस न्यायालय की एकल पीठ द्वारा **अमन कुमारी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्यः एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7512/2022, दिनांक 21.09.2022** को निर्णीत निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित निर्णय दिया गया था:

> "मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।
>
> प्रतिवादीगण ने इस शर्त में रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य *(2019)15* एससीसी *664* के मामले में दिए गए निर्णय का हवाला दिया और उसके बाद यह टिप्पणी की कि राज्य में विवाहित होने वाले ओबीसी *(OBC)*, एससी *(SC)*, एसटी *(ST)* और ईडब्ल्यूएस *(EWS)* को श्रेणी के लाभ का अधिकार नहीं होगा। विज्ञापन में प्रतिवादीगण द्वारा दी गई यह शर्त ओबीसी, एससी और एसटी को प्रदान किए गए आरक्षण की तुलना में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मूल योजना और माननीय उच्चतम न्यायालय के रंजना कुमारी *(*उपरोक्त*)* के मामले में दिए गए सिद्धांत के प्रत्यक्षतः विपरीत है, जिसका स्पष्ट रूप से ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के लिए निर्धारित आरक्षण पर कोई अनुप्रयोग नहीं है।
>
> राज्य के परिपत्रों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह देखते हुए कि केन्द्र सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों और सेवाओं में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए *10%* तक आरक्षण और राज्य के भीतर विवाहित महिलाओं को प्रमाण पत्र जारी करने का निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:-

"दूसरा यदि विवाहित महिला की उसके मूल राज्य में उसकी पैतृक जाति सामान्य वर्ग में है तथा उसका विवाह राजस्थान राज्य के किसी आरक्षित वर्ग के व्यक्ति से हुआ है तो भी वह राजस्थान राज्य में सामान्य वर्ग (अर्थात अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त) में मानी जायेगी, एवं ऐसे आर्थिक कमजोर वर्ग ई.डब्ल्यू.एस. के व्यक्ति को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार आय और संपत्ति प्रमाण पत्र पाने के हकदार होगें।

शर्त विशिष्ट है, जिसमें उन्हें ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र जारी करने का हकदार माना गया है।

चूंकि राज्य ने स्वयं अपने परिपत्र दिनांक *16.08.2021* में राज्य के भीतर विवाहित पात्र महिला को ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है, इसलिए दिनांक *31.12.2021* के विज्ञापन में निर्धारित प्रावधान अनिवार्य रूप से उक्त परिपत्र के विपरीत है और याचिकाकर्ताओं जैसे उम्मीदवारों को वंचित नहीं कर सकता है, जो अन्यथा ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के उम्मीदवारों को प्रदान किए गए आरक्षण के लाभ के हकदार हैं।

विबंध से संबंधित उत्तर में प्रस्तुत किए गए तर्क और तथ्य यह है कि दिनांक *10.02.2020* और *16.08.2021* के परिपत्र (सीडब्ल्यूपी संख्या *7512/2022* के अनुलग्नक *11)* प्रकृति में सामान्य हैं, इसमें कोई सार नहीं है, क्योंकि, एक बार जब यह पाया जाता है कि विज्ञापन में निर्धारित प्रावधान ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण की योजना और प्रतिवादीगण के अपने परिपत्र के विपरीत है, याचिकाकर्ताओं को विबंध के तर्क के आधार पर लाभ का दावा करने से वंचित नहीं किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त , जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, दिनांक *16.08.2021* का परिपत्र बहुत विशिष्ट है, जिसमें इसकी शुरुआत ही रोजगार/सेवाओं आदि के लिए ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के उम्मीदवारों को उपलब्ध लाभों के संदर्भ में होती है और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि परिपत्र सामान्य प्रकृति का है और भर्तियों पर लागू नहीं होता है।

उपरोक्त के मद्देनजर, रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं। प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं की ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी में

उम्मीदवारी पर विचार करें और यदि वे अन्यथा पात्र हैं और ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित कट-ऑफ के अंतर्गत आते हैं, तो उन्हें शिक्षक ग्रेड-*III* (स्तर-*I*) के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाए।

17. उपरोक्त निर्णय के आलोक में, यह आपत्ति कि याचिकाकर्ता ने हरियाणा से प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और उसे राजस्थान में लाभ नहीं दिया जा सकता, केवल अस्वीकार किए जाने योग्य है।

18. यह भी ज्ञात होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय ने अंतिमता प्राप्त कर ली है, क्योंकि राज्य द्वारा इसके विरुद्ध न तो कोई अंतर-न्यायालय अपील और न ही कोई एसएलपी की गई है।

19. परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता से यह वचनपत्र/शपथ पत्र लेकर कि कट-ऑफ तिथि के समय वह ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी से संबंधित थी, परिपत्र दिनांक 17.10.2022 (अनुलग्नक 15) के अनुसार ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी में याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करें। बाद में सत्यापन होने पर, यदि जानकारी झूठी पाई जाती है, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता को परिणाम भुगतने होंगे।

20. याचिकाकर्ता द्वारा इस आदेश के वेब प्रिंट के साथ प्रतिवादीगण से संपर्क करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर आवश्यक कार्यवाही पूरी कर ली जानी चाहिए।

21. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किए जाते हैं।

(अरुण मोंगा),जे

30-/ सुमित -जितेन्द्र//-
क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है : हां/नहीं।

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Advocate